

07-11-19

प्राथमिक के वकील उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्राथमिक द्वारा यह मुन्सिफि प्रा. पत्र तत्कालीन उपरवठ अधिकारी, वर श्री विशम्बर दयाल शर्मा के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। चूंकि श्री विशम्बर दयाल शर्मा SDO वर सेवा निवृत्त हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में प्राथमिक को प्राथमिक पत्र मुन्सिफि प्रभावहीन होने से इसी SDO पर जारी किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमा होकर बाद तत्काल दा. द. हो।

जिला कलेक्टर
भजनपुर (गज०)

